BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

Compliance Affidavit

(On behalf of the Principal Secretary, Forest, Environment Conservation and Climate Change, Government of Uttarakhand)

IN

Execution Application No. 27/2023
IN
Original Application No. 561/2022
(M.A. No. 54/2023)

Urvashi Shobhana Kachari
Versus
Union of India & Ors.

Sl.No.	Description of Paper	Pg. No.
1.	Index	1 - 1
2.	Compliance Affidavit	2 - 6
3.	**Annexure-1:** Copy of Office Memorandum dated 06.03.2023.	7 - 8
4.	**Annexure-2:** Copy of minutes of Meeting held on 31.03.2023.	9 - 11
5.	**Annexure-3:** Copy of letter dated 31.03.2023.	12 - 12
6.	**Annexure-4:** Copy of SoP issued on dated 01.05.2023.	13 - 16

Dated: September, 2023

Advocate
(Counsel for the respondent)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Compliance Affidavit
(On behalf of the Principal Secretary, Forest, Environment
Conservation and Climate Change, Government of Uttarakhand)
IN
Execution Application No. 27/2023
IN
Original Application No. 561/2022
(M.A. No. 54/2023)

Urvashi Shobhana Kachari
Versus
Union of India & Ors.

Affidavit of Sushant Kumar Patnaik (Male) aged about 50 years S/o Shri Sarat Chandra Patnaik, presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Gauradevi Paryavaran Bhawan, 46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehradun.

Deponent

I, the above named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1. That the deponent is presently posted Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun and is duly authorized to sign and swear the instant compliance affidavit before the Hon'ble NGT.

2. That the deponent has gone through the contents of the above-noted Application(s) filed by the applicant and has fully understood the contents thereof and is in a position to reply to the same.

3. That the above noted Execution Application was listed for hearing on 08.08.2023, wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

"……………

5. ………………… We further direct Additional Chief Secretary, Environment and Forest, Uttarakhand to furnish status on meeting/review conducted by the Committee under the Chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand in three weeks.

…………"

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No. 19(0)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

4. That in compliance of the directions dated 08.02.2023 passed by the Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 561 of 2023 titled as "Urvashi Shobhana Kachari Vs Union of India & Ors.", the Secretary, Environment Conservation and Climate Change, Government of Uttarakhand issued Office Memorandum dated 06.03.2023 for constitution of Committee headed by the Chief

Secretary. Copy of Office Memorandum dated 06.03.2023 is enclosed as **Annexure-1**.

5. That the meeting of Committee headed by the Chief Secretary was held on 31.03.2023. Presentation was made by the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board regarding observations of the Joint Committee and orders passed by the Hon'ble NGT. The Committee also interacted with the concerned District Magistrate and directed to ensure the compliance of orders passed by the Hon'ble NGT. Copy of minutes of Meeting held on 31.03.2023 is enclosed as **Annexure-2**.

6. That the Secretary, Environment Conservation and Climate Change, Government of Uttarakhand vide its letter dated 31.03.2023 forwarded the order of Hon'ble NGT to all concerned departments and District Magistrate, Chamoli for necessary compliance and directed them to send compliance report/action taken to the Uttarakhand Pollution Control Board. Copy of letter dated 31.03.2023 is enclosed as **Annexure-3**.

7. That the District Magistrate of concerned districts and the Directorate of Panchayati Raj, Uttarakhand have submitted their compliance report /Action Plan to Uttarakhand Pollution Control Board. In this connection, Action Taken Report has been filed separately by Uttarakhand Pollution Control Board in compliance of the directions contained in the para 5 of the Hon'ble NGT's order dated 08.08.2023.

8. It is pertinent to mention that the Animal Husbandry Department, Government of Uttarakhand has issued Standard Operating

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No. 19(0…)2002 OF UTTARAKHAND

Procedure (SoP) for operation of equines in the Yatra routes. Copy of SoP issued on dated 01.05.2023 is enclosed as **Annexure-4**.

9. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regards for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

Deponent

Dated: - 1 .09.2023

I, Dan Singh Advocate, do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be .... is the same person who is known to me from the papers produced by him before me in this case.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(0)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

5057/08
Advocate
Enrol. No. .....

Solemnly affirmed before me on this day of 1st September, 2023 at Dehradun at about 4:30 ~~AM~~/PM by the deponent who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit.

The person has signed in my presence on the affidavit.

Sr. No. 7841/23
This ~~affidavit is sworn before me~~ by
Shri Sushant Kr. Patnaik
who is identified by Shri ....
at Dehradun on................ 1/9/23
(Rajender Singh Negi)

Notary

IVI-CNGT/CC/8/2023-XXXVIII-1-Environment Conservation and Climate Change Department
6195/2023/Environment Conservation and Climate Change Section
150979/2023

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

पर्या॰संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनु॰ देहरादून: दिनांक: 01 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2023

विषय:– मा॰राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–561/2022 Urvashi Shobhna Kachari V/s Union of India (Execution application no 27 of 2023) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–600/2023/699, दिनांक 30.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त Execution application no 27 of 2023 में मा॰अधिकरण द्वारा दिनांक 08.08.2023 को पारित आदेश के क्रम में शासन की ओर से मा॰अधिकरण में दाखिल किये जाने वाले Compliance Affidavit का ड्राफ्ट प्रारूप तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में आपके द्वारा उक्तानुसार उपलब्ध कराये गये Compliance Affidavit पर शासन का अनुमोदन प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा अनुमोदित Compliance Affidavit को मा॰अधिकरण द्वारा पारित आदेशानुसार समयबद्ध रूप से दाखिल किये जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
Signed by Ramesh Kumar Sudhanshu
Date: 01-09-2023 11:37:49
(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19/01/2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by
Shri Sushant Kr. Patnaik
who is identified by Shri ....
at Dehradun on 4/9/23

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

I/104723/2023

Annexure-1

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या– /XXXVIII–1–2023
देहरादूनः दिनांक– फरवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–561/2022, Urvashi Shobhna Kachari बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के संबंध में दिनांक 12.08.2022 को सुनवाई में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के प्रस्तर–6 के क्रम में निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन– अध्यक्ष।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड– सदस्य
4. निदेशक, गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, उत्तराखण्ड –सदस्य।
5. निदेशक, वन्यजीव संस्थान, भारत सरकार, देहरादून– सदस्य।
6. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी – सदस्य।
7. अध्यक्ष, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी – सदस्य।
8. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्रि सदस्य।
9. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून– विशेष आमंत्रि सदस्य।
10. निदेशक, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, देहरादून– विशेष आमंत्रि सदस्य।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून– विशेष आमंत्रि सदस्य।
12. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी– विशेष आमंत्रि सदस्य।

2– उक्त समिति की होने वाली बैठकों में होने वाले व्यय–भार का वहन उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

3– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उक्त समिति हेतु नोडल अधिकारी/सदस्य सचिव होंगे एवं आपके द्वारा बैठक हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेंगी।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun
GOVT. OF UTTAR...

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 06-03-2023 13:10:39

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

Generated from eOffice by BABITA, RO-BABITA, REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Change Department on 22/08/2023 01:51 PM

<u>प्रतिलिपिः</u>–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समिति के नामित सदस्य/सदस्य सचिव।
3. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्डं।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Dharm Singh Meena
Date: 06-03-2023 13:58:26
(धर्म सिंह मीणा)
अपर सचिव

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by Shri Sushant Kr. Patnaik who is identified by Shri .... at Dehradun on 1/9/23
(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

Generated from eOffice by BABITA, RO-BABITA, REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Change Department on 22/08/2023 01:51 PM

/112333/2023

Annexure-2

मा॰ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–561 / 2022 Urvashi Shobhna Kacheri बनाम भारत संघ व अन्य के सम्बन्ध में मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.02.2023 को पारित आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 31 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति:–

1. श्री विजय कुमार यादव, सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. श्री धर्म सिंह मीणा, अपर सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री के॰एम॰राव, प्रमुख वन संरक्षक (पर्यावरण), उत्तराखण्ड।
5. श्री एस॰पी॰ सुबुद्धि, निदेशक, राज्य पर्यावरण निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. श्री एस॰के॰ पटनायक, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड (V.C. के माध्यम से)।
8. श्री मुकेश राय, उप सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। बैठक में सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रश्नगत मूल आवेदन संख्या–561 / 2022 में मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.02.2023 को पारित आदेश के संबंध में मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराते हुए उल्लेख किया गया कि वाद मूलतः केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री–गौमुख एवं हेमकुण्ड साहिब मार्ग पर पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन, अनियंत्रित रूप से कूड़े / प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण, अनियंत्रि रूप से घोड़े–खच्चरों के मल–मूल एवं शवों के निस्तारण एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन हेतु अपर्याप्त व्यवस्थाओं से जनित समस्याओं के संबंध में दायर किया गया है।

2– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मूल आवेदन में मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.08.2022 को पारित आदेश के क्रम में क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या दिनांक 10.01.2023 को मा0 प्राधिकरण में प्रस्तुत / दाखिल की गई, जिसमें उक्त समिति द्वारा प्रत्येक यात्रा मार्ग में घोड़े–खच्चरों की संख्या नियंत्रित करने एवं मल–मूत्र के निस्तरण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित करने, मुत घोड़े–खच्चरों के शवों को ससमय निस्तारित किये जाने की व्यवस्था करने, संबंधित जिला पंचायतों द्वारा कूड़े एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण एवं निस्तारण की समुचित व्यवस्था करने एवं प्लास्टिक अपशिष्ट को अधिकृत रिसाइक्लर्स के माध्यम से निस्तारित करने के सुझाव दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त सदस्य सचिव, बोर्ड द्वारा प्रकरण में मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.02.2023 को पारित आदेश के संबंध में प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया एवं मा0 प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08.02.2023 में उल्लिखित निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
GOVT. OF UTTARAKHAND

/112333/2023

अवगत कराया गया :—

- Limiting Number of vehicles and type of vehicles.
- Restricting number of tourists especially during peak season.
- Restricting number of equine/mules based on carrying capacity study.
- Review and plan infrastructure for waste management.
- Fast disposal of dead mules and other measures for protection of flora and fauna.
- Safety precautions and determining CCTV camera locations.
- Preparing SoP and display boards with Dos and Don'ts.
- Demarcation of areas where activities incompatible with environment are prohibited/regulated.
- Monitoring mechanism and establishing control room.
- Developing appropriate Mobile app.
- Imparting awareness and education to tourists, inhabitants and operators.
- Taxi drivers and bus drivers may be involved in raising awareness.
- Discouraging use of food and products packaged in plastic (Ban of SUP)
- Encouraging depositing waste at designated places.
- Allocation of requisite funds at district and gram panchayat level for execution of the action plan.

3— जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तर—2 में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा रही है तथा घोड़े—खच्चरों, यात्रा मार्ग पर सफाई आदि हेतु एस॰ओ॰पी॰ तैयार की जा चुकी है, जिसे उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 02 दिवस के भीतर उपलब्ध करा दी जायेगी।

4— प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि किसी भी यात्रा मार्ग पर घोड़े—खच्चरों की संख्या अनुमन्य किये जाने हेतु स्टॉक फीडिंग क्षमता का आंकलन किया जाना आवश्यक होगा।

5— पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि चारधाम यात्रा में वाहनों की संख्या एवं वाहनों के प्रकार को नियंत्रित किया जाना अप्रसंगिग प्रतीत होता है, क्योंकि वाहन में यात्रियों के साथ—साथ स्थानीय लोग भी यात्रा करते हैं।

6 — प्रकरण के संबंध में विचार—विमर्शोपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया :—

(1) मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.02.2023 को पारित आदेश के क्रम में समिति की आगामी बैठक में जिलाधिकारी, चमोली सहित संबंधित विभागों यथा—पशुपालन, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पर्यटन विभाग एवं परिवहन विभाग को भी आमंत्रित किया जाय। साथ ही मा0 प्राधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 08.02.2023 के क्रम में अपने—अपने विभागों से संबंधित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या / एक्शन प्लान की अद्यतन स्थिति सहित उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाय।

(कार्यवाही—पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन / PCB)

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No. 19/01/2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

/112333/2023

(2) मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को 02 दिवस के भीतर सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराई जाय। जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए और क्या बेहतर किया जा सकता है, का अध्ययन कर, एक सुस्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जाय।

(कार्यवाही–जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं PCB)

(3) चारधाम यात्रा मार्गों में वाहनों की संख्या एवं वाहनों के प्रकार को नियंत्रित किये जाने हेतु एक युक्तिसंगत प्रस्ताव तैयार किया जाय एवं उस प्रस्ताव को समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही–संबंधित जिलाधिकारी, पुलिस विभाग, परिवहन, PCB)

अन्त में सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 04-04-2023 13:12:12

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या–112333/XXXVIII–1–2023
देहरादूनः दिनांकः– 05 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव/अपर सचिव, पशुपालन, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पर्यटन विभाग एवं परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक (पर्यावरण), उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, राज्य पर्यावरण निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

Signed by Dharm Singh Meena
Date: 05-04-2023 11:02:01

(धर्म सिंह मीणा)
अपर सचिव।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by
Shri Sushant K. Padhaik
who is identified by Shri ....
at Dehradun on 1/9/23

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary. Dehradun

Annexure-3

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।

पर्या0 संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग : देहरादूनः दिनांकः मार्च, 2023

विषयः– मा॰ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–561/2022 **Urvashi Shobhna Kachari V/s Union of India** के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–561/2022 के संबंध में मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.02.2023 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ आज दिनांक 31.03.2023 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई, बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में मा0 प्राधिकरण द्वारा उक्त पारित आदेश **(प्रति संलग्न)** के क्रम में अपने–अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या/एक्शन प्लान अद्यतन स्थिति सहित एक सप्ताह के भीतर सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून (E-mail:- msukpcb@yahoo.com) को उपलब्ध कराते हुए, आख्या की एक प्रति इस विभाग (E-mail:- forestsection3@gmail.com) को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 31-03-2023 17:47:10

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No. 19/03/2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by Shri Sushant Kr. Pattnaik
who is identified by Shri..........
at Dehradun on 1/9/23

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

Generated from eOffice by BABITA, RO BABITA, REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Change Department on 22/08/2023 01:50 PM

I/118636/2023

Annexure-4

775
संख्या– / XV-1 / 23 / 4(12)22

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 01 मई ~~अप्रैल~~, 2023

विषय : यात्रा मार्गो पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु **Standard Operating Procedure** के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके ई पत्र संख्या 11390 / 2023 / पशुधन–तीन / प0क0ड्रो0शि035(8) / 2023–24 दिनांकः 25.04.2023 के क्रम में यात्रा मार्गो पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु निम्नवत् Standard Operating Procedure निर्धारित किया जाता है :–

1. यात्रा मार्ग हेतु कुल 5000 (पाँच हजार) अश्ववंशीय पशु की क्षमता जिसमें 4000 (चार हजार) यात्रा हेतु एवं 1000 (एक हजार) माल वाहन हेतु निर्धारित किया जाता है। प्रति किलोमीटर (आना–जाना) के लिए प्रति किलोमीटर लगभग 263 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 19 कि०मी० के यात्रामार्ग हेतु 5000 अश्ववंशीय पशु) एवं हेमकुण्ड यात्रामार्ग में अनावश्यक क्रूरता की संभावना के निवारण हेतु, यात्रा मार्ग पर पशुओं को गुनगुने पेयजल तथा शेड शैल्टर की उचित व्यवस्था हेतु, प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 15 कि०मी० की दूरी हेतु 1,050 अश्ववंशीय पशु) की अधिकतम धारिता क्षमता निर्धारित किया जाता है।

2. यात्रा मार्ग पर प्रत्येक पशु स्वामी द्वारा अधिकतम 2 अश्ववंशीय पशु को संचालित किया जायेगा। प्रतिदिन एक अश्ववंशीय पशु से एक चक्कर लगाने की अनुमति होगी।

3. यात्रा मार्गो पर अत्यधिक कठिन परिस्थितियों एवं ठण्डे वातावरण में वर्षा, बर्फ ओलावृष्टि के कारण अश्ववंशीय पशुओं में ज्वर, खांसी, दमा, न्यूमोनिया इत्यादि के कारण अकाल मृत्यु से बचाव हेतु आवश्यक है कि पशुओं हेतु कुछ–कुछ दूरी पर अस्थायी शेड शैल्टर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पशु को पानी पिलाने के बाद अनिवार्य रूप से कम से कम 20 मिनट आराम दिया जायेगा।

4. यात्रा मार्ग पर यात्रा से पहले प्रत्येक पशु का भली प्रकार स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी होने पर अश्व पशुओं को यात्रा मार्गो पर परिवहन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
GOVT. OF UTTARAKHAND

5. यात्रा सीजन से पूर्व अश्ववंशीय पशुओं के स्वामियों द्वारा Glander परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट यात्रा से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा। Glander परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही अश्ववंशीय पशुओ को यात्रा में सम्मिलित किया जायेगा।

6 पंजीकृत पशुचिकित्सा अधिकारी के द्वारा अश्ववंशीय पशुओं के स्वामियों को स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट निर्गत किया जायेगा, जिसमें अश्ववंशीय पशुओं के कान पर **Applied Ear Tag** का नम्बर, पशु का साइज, वजन, मुख्यतः दर्शाया जायेगा।

7. कतिपय पशुस्वामियों द्वारा अनियमितता बरते जाने की दशा में रोक लगाये जाने के उपरान्त भी पशुओं को यात्रामार्ग से हटाया नही जाता है। इन पशुओं के अतिशोषण के कारण मृत्यु होने पर पशुस्वामियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु पशुपालन विभाग एवं अन्य किसी कार्यदायी संस्था के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान हेतु नियमित रूप से समन्वयन समीक्षा बैठक आहूत किया जायेगा तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी को साफ्टवेयर एक्सेस दिया जायेगा।

8. कतिपय पशु स्वामियों द्वारा यात्रामार्ग में अन्य किसी कार्यदायी संस्था द्वारा आबंटित चिपस्ट्रैप उतारकर अन्य पशुओं पर अवैध उपयोग में लाये जा रहे हैं। इस अनियमितता की रोकथाम हेतु बेहतर प्रयास किया जायेगा।

9. यात्रा मार्ग के आधार शिविरों एवं मध्य मार्ग पर प्रत्येक शेड शैल्टर के निकट स्थायी अथवा अस्थायी पशु चिकित्सालय की स्थापना कि जायेगी। पशु चिकित्सालय पर पशुचिकित्सक (संविदा पर) तथा पैरावेट की नियुक्ति की जायेगी।

10. यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाए जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं को कार्य में लिए जाने से पूर्व क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार न्यूनतम एक सप्ताह की अनुकूलन अवधि सुनिश्चित की जायेगी जिससे कि पशु क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढाल सकें।

11. जिला एस०पी०सी०ए० अथवा उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के कार्मिकों हेतु पशु कल्याण एवं प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित कानूनी प्राविधानों, मा० उच्च न्यायालयों, मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये मार्गदर्शी आदेशों के प्रति जागरूकता हेतु संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। भारतीय सेना के अन्तर्गत रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस तथा अर्धसैनिक बलों (यथा आई०टी०बी०पी०) के पशुचिकित्साविदों द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त अश्ववंशीय पशुओं की चिकित्सा/प्रबन्धन हेतु कुछ विशेष चिकित्सा प्रक्रियाऐं/रीतियॉ अपनाई जाती हैं। पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साविदों एवं सहयोगी कार्मिकों हेतु इस विशेष प्रशिक्षण हेतु रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस अथवा आई०टी०बी०पी० अथवा अश्व कल्याण हेतु विशेषज्ञ पशु कल्याण संस्था—ब्रूक्स इन्डिया में सेवारत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविदों के दिशा—निर्देशन में पी०एफ०ए० उत्तराखण्ड के अश्व अभ्यारण्य मे अथवा अन्य स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे।

12. यात्रा मार्गों पर अत्यधिक कठिन एवं ठण्डे वातावरण में अश्ववंशीय पशुओ की अकाल मृत्यु की दशा में महामारी फैलने तथा जल स्रोतों के प्रदूषित होने की आशंका बनी रहती है। 24 घण्टे के भीतर मृत अश्ववंशीय पशुओं के शव निस्तारण से पूर्व शवविच्छेदन रिपोर्ट पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने के उपरान्त, मृत अश्ववंशीय पशुओ के शवों को कार्यदायी संस्था के माध्यम से जमीन के भीतर गहरा गाड़ दिया जाय अथवा

NOTARY ...nder Singh N... Advoc... ...dun Dist... OF UTTARA...

शवदाह कर पशु देह का निस्तारण किया जाय। शवविच्छेदन रिपोर्ट में विलम्ब की स्थिति में मृत अश्ववंशीय पशु के देह को ढक कर रखा जाय।

13. यात्रा के दौरान घायल/ बीमार हुए अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर पुनः चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एक बार अस्वस्थ घोषित कर दिये जाने के उपरान्त यदि अश्ववंशीय पशु यात्रा मार्ग पर कार्य कर रहा है तो पशुस्वामी के लिए अर्थदण्ड एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

14. यदि पशुस्वामी द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लघंन किया जाता है तो ऐसी दशा में पशुस्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

15. पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता किये जाने अथवा अत्यधिक शोषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला एस०पी०सी०ए० मे पदेन सदस्यों के रूप मे सम्मिलित विभागो (पशुपालन विभाग, स्थानीय निकाय/जिला पंचायत, वन विभाग/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पुलिस विभाग) के अधिकारियों के प्रतिनिधि कार्मिकों के दल में प्रान्तीय रक्षा दल/होम गार्डस के स्टाफ के सहयोग से, यात्रा मार्ग में दैनिक रूप से आवंटित अश्वटोकन की जॉच, अश्व संचालक टोकन की जॉच, प्रत्येक पशु द्वारा चक्रों की संख्या की जॉच, घायल/रोगी पशुओं का चिन्हांकन कर भारवाहन से अलग किये जाने, पशु मृत्यु की दशा में पशुस्वामी की पहचान, शव निस्तारण की रीति की जॉच की जायेगी तथा अनियमितता मिलने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

16. तीर्थाटन मार्गों की मुख्य बस्ती/आधार शिविरों से 1 से 2 किमी दूरी पर पशुस्वामियों को किराये पर स्थायी अश्वशालाऐं उपलब्ध करायी जाय। इन अश्वशालाओं में बिजली एवं शरीर तापमान वाले गुनगुने पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा मांग के अनुरूप उचित दरों पर पशुआहार एवं चारे की उपलब्धतता सुनिश्चित की जायेगी।

17. यात्रा मार्गों पर टोल फ्री नम्बर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने के कारण किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में सम्पर्क कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस क्रम मे टोल फ्री नम्बर को नेटवर्क एरिया से जोडने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय, जिससे यात्रियों एवं अश्ववंशीय पशु स्वामियों की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त Standard Operating Procedure का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Signed by Rajendra Kumar Bhatt
Date: 01-05-2023 16:49:33

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

NOTARY ...ender Singh Negi Advocate ...dun District GOVT. OF UTTARAKHAND

संख्या- /XV-1/23/4(12)22 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, सूचना महानिदेशालय।
4. अपर निदेशक, पशुपालन, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।

5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ambika
Vashishth
Date: [illegible].04
(अम्बिका वशिष्ठ)
अनु सचिव।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by
Shri....Sushant Kr. Padnaik....
who is identified by Shri ....
at Dehradun on......4/9/23......

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary. Dehradun